

सुविचार

सब्र एक ऐसी सवारी है, जो अपने सवार को कभी गिरने नहीं देती, ना किसी के कदमों में ना किसी के नजरों में।

न्यूज़ ब्रीफ

अयोध्या में राम मंदिर को बम से उड़ाने की धमकी, जांच में जुटी एंजेसियां

अयोध्या। अयोध्या में राम मंदिर के निर्माण की देखरेख कर रहे श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट को ईमेल के जरिए बम की धमकी मिली, जिसके बाद सुरक्षा अलर्ट जारी कर दिया गया। अधिकारियों ने एक एफआईआर दर्ज की है और गुमनाम धमकी के मामले की जांच शुरू कर दी है, जिससे मंदिर परिसर और उसके कर्मचारियों की सुरक्षा को लेकर चिंताएँ बढ़ गई हैं। इसको लेकर मंदिर और उसके आसपास के इलाकों में सुरक्षा उपाय बढ़ा दिए गए हैं। जानकारी के अनुसार अयोध्या के साथ-साथ बाराबंकी चंदौली समेत कई अन्य जिलों के जिलाधिकारियों को भी धमकी भरा मेल आया है। इन सभी ई-मेल्स की साइबर सेल जांच कर रही है। इससे पहले अयोध्या स्थित श्री राम जन्मभूमि मंदिर में सुबह कलश पूजन किया गया और मंदिर के मुख्य शीर्ष पर कलश स्थापित किया गया। निर्माण समिति के अध्यक्ष नृपेंद्र मिश्र ने संकेत दिया कि राम मंदिर का निर्माण छह महीने में और करीब चार किलोमीटर की सुरक्षा दीवार बनाने का काम 18 महीने में पूरा होने की उम्मीद है। उन्होंने बताया कि 'इंजीनियर्स इंडिया लिमिटेड' राम मंदिर के लिए सुरक्षा दीवार का निर्माण करेगी। दीवार की ऊँचाई, मोटाई, डिजाइन आदि के संबंध में निर्णय ले लिया गया है और मिट्टी की जांच के बाद निर्माण शुरू होगा। मिश्रा ने बताया कि यात्री सुविधा केंद्र का निर्माण राम मंदिर परिसर के भीतर 10 एकड़ में किया जाएगा और वहां भंडारण के लिए 62 'काउंटर' होंगे। उन्होंने बताया कि सप्त मंडल मंदिरों की सभी प्रतिमाएँ रविवार को अयोध्या पहुंच गईं। इनमें से प्रत्येक को उनके स्थानों पर पहुंचा दिया गया है। ये प्रतिमाएँ जयपुर से लाई गई हैं।

करणी सेना के धमकी देने पर अखिलेश यादव बोले- हम डरने वाले नहीं हैं

लखनऊ। सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कहा कि यूपी में कानून व्यवस्था जीरो है। उद्घाटन पर उन्होंने कहा कि सरकार से सवाल नहीं कर सकते हैं। वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनमी सिर्फ एक सप्ताह में। अखिलेश यादव आगरा में करणी सेना के प्रदर्शन और सपा नेताओं को धमकी देने के सवाल पर जवाब दे रहे थे। उन्होंने कहा कि जो डरपोक है वह एनएसजी रखे हैं। मुझे एनएसजी वापस हटने कोई मलाल नहीं। हम लोग महाराजाओं के खिलाफ नहीं हैं। राजा की कोई जाति नहीं होती है। हम आगरा जाएंगे। हम डरने वाले नहीं हैं। दिल्ली वाले लखनऊ वालों को चकमा देने में लगे हैं। अब चलाचली की बेला है तो डंडे की बात कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि मैं अपने कार्यकर्ताओं से कहूंगा कि सोशल मीडिया पर कुछ न लिखें। अखिलेश यादव ने कहा कि एक अहम विभाग (गृह) में अगला अधिकारी (डीजीपी) कार्यवाहक व सिंह होगा। यह तय है।

आईएमडी ने इस साल सामान्य से अधिक बारिश की भविष्यवाणी की

नई दिल्ली। मौसम विभाग का अनुमान है कि 2025 में भारत में सामान्य से अधिक मानसूनी बारिश हो सकती है। भारत मौसम विज्ञान विभाग ने मौसमी वर्षा के दीर्घावधि औसत के 105 प्रतिशत रहने का अनुमान लगाया है। अधिकारियों ने मंगलवार को घोषणा की कि यह अनुमान 5 प्रतिशत के मॉडल टुटि मॉर्जिन के साथ है। दक्षिण-पश्चिम मानसून आमतौर पर 1 जून के आसपास केरल में आगे बढ़ना शुरू करता है और सितंबर के मध्य तक वापस चला जाता है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने कहा कि अनुमानित औसत से अधिक बारिश कृषि क्षेत्र को बहुत जरूरी बढ़ावा दे सकती है। आईएमडी के अनुसार, इस वर्ष के पूर्वानुमान से पता चलता है कि देश के अधिकांश हिस्सों को अनुकूल वर्षा की स्थिति से लाभ होने की संभावना है, कुछ क्षेत्रों को छोड़कर। चार महीने के मानसून के मौसम के दौरान लद्दाख, पूर्वोत्तर और तमिलनाडु में सामान्य से कम बारिश होने की उम्मीद है। आईएमडी सामान्य वर्षा को 50 साल के औसत 87 सेमी (लगभग 35 इंच) के 96 प्रतिशत और 104 प्रतिशत के बीच परिभाषित करता है। इस सीमा से ऊपर की कोई भी मात्रा सामान्य से ऊपर मानी जाती है।

भोपाल, ग्वालियर से एक साथ प्रकाशित

आज मंडला से होगी लाइली बहनों के खातों में राशि अंतरित: मुख्यमंत्री डॉ. यादव

पीपुल्स प्रवाक्ता, भोपाल।

मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि 16 अप्रैल को मंडला जिले के ग्राम टिकरवारा से लाइली बहनों के खाते में राशि का अंतरित की जायेगी। उन्होंने कहा कि राशि अंतरण की तारीख में सदैव एकरूपता लाने के लिए अब राज्य सरकार द्वारा प्रतिमाह 15 तारीख के आसपास यह राशि लाइली बहनों के खाते में हस्तांतरित की जाएगी। उन्होंने बताया कि 16 अप्रैल (बुधवार) को मंडला जिले से प्रदेश की एक करोड़ 27 लाख लाइली बहनाओं के खाते में 1552.38 करोड़ रुपये की राशि अंतरित की जाएगी। मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को मंत्रालय में मंत्रि-परिषद् की बैठक के पहले मंत्रीगण को संबोधित कर रहे थे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश के इतिहास में पहली बार केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री अमित शाह के मुख्य आतिथ्य में 13 अप्रैल को राज्य सरकार तथा नेशनल डेयरी डेवलपमेंट बोर्ड (एनडीडीबी) के मध्य सहकारिता अनुबंध हुआ। इससे प्रदेश के पशुपालकों को सीधा लाभ होगा। पशुपालकों द्वारा उत्पादित दूध एवं इससे जुड़े अन्य उत्पाद अब सीधे एनडीडीबी के माध्यम से खरीदे जायेंगे। इससे प्रदेश के पशुपालकों की माली हालत तेजी से सुधरेगी और वे आत्मनिर्भर हो सकेंगे। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने बताया कि केन्द्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री श्री शाह ने प्रदेश में दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के निर्देश दिए हैं। प्रदेश के कुल दुग्ध उत्पादन की तुलना में दुग्ध संकलन बड़े पैमाने पर बढ़ाया जाये। साथ ही प्रदेश के शेष आधे ग्रामों से



दूध का संकलन करने की कार्यवाई में भी गति लायें। दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए सरकार द्वारा 5 रुपए प्रति लीटर बोनस के रूप में प्रोत्साहन राशि देने सहित ₹डॉ. भीमराव अम्बेडकर कामधेनु योजना का प्रचार-प्रसार एवं मग्न के दूध की प्रशिक्षण एवं राष्ट्रीय स्तर पर व्यापक मार्केटिंग एवं ब्रांडिंग भी की जाये। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि एनडीबीबी द्वारा प्रदेश में दुग्ध उत्पादन क्षेत्र में उत्तरोत्तर प्रगति के लिए कॉम्प्रिहेंसिव प्लान म.प्र. सरकार के साथ मिलकर तैयार किया जा रहा है।

प्रदेश में दुग्ध उत्पादन का लक्ष्य बढ़ाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने निर्देश दिए कि प्रदेश में अगले 5 साल में 2 करोड़ लीटर प्रतिदिन दुग्ध उत्पादन क्षमता का लक्ष्य लेकर आगे बढ़ें। इस दिशा में एनडीडीबी से भी मार्गदर्शन लें। उन्होंने कहा कि अभी प्रदेश के दुग्ध संघों द्वारा मात्र 10 लाख लीटर प्रतिदिन दुग्ध संकलन किया जाता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने प्रदेश में दूध उत्पादन और संकलन में तेजी से वृद्धि करने के निर्देश दिये।

अंबेडकर जयंती पर नई ट्रेन के लिए दी बधाई

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने मंत्रि-परिषद् को भारत रत्न बाबासाहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर 13 अप्रैल से डॉ. भीमराव अंबेडकर नगर (महू) से नई दिल्ली के मध्य सीधी रेल सेवा प्रारंभ होने की जानकारी देकर बधाई दी। उन्होंने कहा कि इससे महू अब दिल्ली से हमेशा के लिए सीधी रेल सेवा से जुड़ गया है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सागर जिले में अरक्षित वन के 258.64 वर्ग किलोमीटर वनक्षेत्र को अभयारण्य घोषित किया गया है। सरकार ने इसकी अधिपूचना भी जारी कर दी है। यह प्रदेश का 25 वां अभयारण्य है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने इसे नए अभयारण्य का नाम डॉ. भीमराव अंबेडकर अभयारण्य रखे जाने की जानकारी देकर कहा कि यह बाबा साहेब को पर्यावरण संरक्षण के लिए उनके द्वारा किये गये कार्यों के प्रति सच्ची श्रद्धांजलि है।

भूमि सौदा मामला

ईडी ने रॉबर्ट वाड्रा से फिर की पूछताछ

नई दिल्ली। केन्द्रीय जांच एजेंसी ईडी (प्रवर्तन निदेशालय) ने मंगलवार को हरियाणा भूमि सौदा मामले से जुड़े धन शोधन केस में व्यवसायी रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की। 56 साल के वाड्रा पूछताछ के लिए सेंट्रल दिल्ली स्थित अपने आवास से ईडी दफ्तर दो किलोमीटर पैदल चलकर पहुंचे। वाड्रा लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के बहनोई और कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी के पति हैं। जांच एजेंसी की ओर से खुद को पूछताछ के लिए बुलाए जाने को वाड्रा ने राजनीतिक प्रतिशोध बताया है। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने हरियाणा के शिकोहपुर में 2008 में हुई एक भूमि डील से जुड़े मामले में रॉबर्ट वाड्रा से पूछताछ की है। वाड्रा पर आरोप है कि उनसे जुड़ी कंपनी स्काइलाइट हॉस्पिटैलिटी प्राइवेट लिमिटेड ने ओंकारेश्वर प्रॉपर्टीज से 7.5 करोड़ रुपये में 3.5 एकड़ जमीन खरीदी थी।

केंद्रीय मंत्री रिजजू का बंगाल सरकार पर बड़ा आरोप

सीएम ममता हिंसा भड़काने का कर रही प्रयास

नई दिल्ली। केन्द्रीय मंत्री किरन रिजजू ने पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी पर राज्य में संशोधित वक्फ अधिनियम के कार्यान्वयन का विरोध करने वाले अपने सार्वजनिक बयानों के माध्यम से हिंसा भड़काने का आरोप लगाया। कोच्चि में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोलते हुए रिजजू ने सवाल किया कि संवैधानिक पद पर आसीन मुख्यमंत्री कैसे खुले तौर पर घोषणा कर सकती हैं कि वह संसद द्वारा पारित कानून को लागू नहीं करेंगी। उन्होंने कहा कि कैसे वह कैसे कह सकती हैं कि वह इसे लागू नहीं



करेंगी? वह एक संवैधानिक पद पर बैठी हैं और कानून एक संवैधानिक निकाय द्वारा पारित किया गया है, फिर वह

कैसे कह सकती हैं कि वह किसी ऐसी चीज का पालन नहीं करेंगी जो संवैधानिक है। उन्होंने कहा कि इस तरह का रुख संवैधानिक ढांचे और कानून के शासन को कमजोर करता है। केन्द्रीय मंत्री किरन रिजजू ने कहा कि पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री लोगों को विरोध-प्रदर्शन के लिए उकसाकर और यह कहकर हिंसा भड़का रही हैं कि वह संसद में पारित कानून को लागू नहीं करेंगी। राज्य में वक्फ अधिनियम से संबंधित हिंसा के बारे में पूछे गए सवालों के जवाब में रिजजू ने बनर्जी को दोषी ठहराया।

प्रारंभिक जांच में बड़ा खुलासा

वक्फ कानून के खिलाफ बंगाल में हुई हिंसा में बांग्लादेशी उपद्रवियों का हाथ!

कोलकाता। पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद जिले में नए वक्फ कानून को लेकर लेकर भड़की हिंसा के मामले में गृह मंत्रालय को शुरूआती जांच की जानकारी दी गई है। सरकारी सूत्रों के मुताबिक, हिंसा में कुछ बांग्लादेशी उपद्रवियों की सलिमता के संकेत मिले हैं। हालांकि हिंसा के बाद जंगीपुर, धुलियान, सूती और शमशेरगंज जैसे संवेदनशील इलाकों में बीएसएफ, सीआरपीएफ, राज्य सशस्त्र पुलिस और आरएसएफ के जावन तैनात किए गए हैं। अधिकारियों ने बताया कि पिछले 48 घंटों में इन इलाकों में कोई नई हिंसा की घटना नहीं हुई है और स्थिति धीरे-धीरे सामान्य हो रही है। बता दें कि तनाव की खबरों के बीच बीएसएफ के वरिष्ठ अधिकारी रवि गांधी ने भी प्रभावित इलाकों का दौरा किया और राज्य पुलिस के साथ मिलकर



इलाके में गश्त बढ़ाने और कानून व्यवस्था बनाए रखने की रणनीति पर चर्चा की। अब तक इस

हिंसा के सिलसिले में कुल 210 लोगों को गिरफ्तार किया जा चुका है। हिंसा के बाद स्थिति की जानकारी देते हुए बंगाल पुलिस ने बताया कि अब दुकानें खुल रही हैं और हिंसा की वजह से घर छोड़कर गए लोग वापस लौटने लगे हैं। बता दें कि बीते सप्ताह के शुक्रवार और शनिवार को नए वक्फ कानून के विरोध में शुरू हुए प्रदर्शन हिंसक हो गए थे, जिनमें कम से कम तीन लोगों की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। वहीं मामले के टीएमसी सांसद खलीलुर रहमान ने बताया कि हालात सुधर रहे हैं और सरकार पीड़ितों की हर संभव मदद कर रही है। उन्होंने लोगों से अफवाहों से बचने और शांति बनाए रखने की अपील की। जिला प्रशासन अब उन लोगों की सूची बना रहा है, जिन्हें हिंसा में हुई संपत्ति की क्षति के लिए मुआवजा दिया जाएगा।

इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 का खुलासा

देश में हर 10 लाख की आबादी पर सिर्फ 15 जज

नई दिल्ली। देश में हर 10 लाख लोगों पर सिर्फ 15 जज हैं, जबकि कानून आयोग ने 1987 में हर 10 लाख लोगों पर 50 जज होने की सिफारिश की थी। यह जानकारी मंगलवार को जारी इंडिया जस्टिस रिपोर्ट 2025 में दी गई। रिपोर्ट के अनुसार, भारत की 140 करोड़ की आबादी के लिए सिर्फ 21,285 जज हैं, यानी औसतन 15 जज प्रति दस लाख जनसंख्या। यह आंकड़ा कानून आयोग की सिफारिशों से काफी कम है। इस रिपोर्ट में बताया गया कि देश के उच्च न्यायालयों में 33 प्रतिशत पद खाली हैं। हालांकि 2025 में रिक्तियों की दर 21 प्रतिशत बताई गई है। इससे मौजूदा जजों पर काफी काम का बोझ पड़ रहा है। रिपोर्ट के अनुसार, जिला अदालतों में एक जज के पास औसतन 2,200 मुकदमों का बोझ है। वहीं, इलाहाबाद और मध्य प्रदेश उच्च न्यायालयों में एक जज के पास 15,000 तक केस हैं। रिपोर्ट में बताया गया कि जिला अदालतों में महिला जजों की संख्या 2017 में 30व थी, जो 2025 में बढ़कर 38.3व हो गई। उच्च न्यायालयों में यह आंकड़ा 11.4व से बढ़कर 14प्रतिशत हुआ है। हालांकि, सुप्रीम कोर्ट में केवल 6प्रतिशत महिला जज हैं। देश के 25 उच्च न्यायालयों में से केवल एक में महिला मुख्य न्यायाधीश हैं। दिल्ली की जिला अदालतों में महिला जजों की संख्या सबसे अधिक 45प्रतिशत है और रिक्ट पद



केवल 11प्रतिशत हैं, जो सबसे कम हैं। रिपोर्ट के मुताबिक, जिला अदालतों में केवल 5 प्रतिशत जज अनुसूचित जनजातियों (एसटी) से और 14प्रतिशत जज अनुसूचित जातियों (एससी) से हैं। वहीं, 2018 से अब तक उच्च न्यायालयों में 698 जज नियुक्त किए गए, जिनमें से केवल 37 जज एससी और एसटी वर्ग से हैं। अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) की हिस्सेदारी 25.6प्रतिशत बताई गई है। रिपोर्ट के अनुसार, देश में प्रति व्यक्ति सालाना औसतन 182 न्यायपालिका पर खर्च किए जाते हैं, जबकि कानूनी सहायता पर सिर्फ 6.461। कोई भी राज्य अपनी कुल सालाना खर्च का एक फीसदी भी न्यायपालिका पर खर्च नहीं करता, जो गंभीर चिंता का विषय है।